भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 135B/2017-18

युधिष्ठिर महतो **बनाम** अर्जुन महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 947 दिनांक 14.10.17 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 135 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता युधिष्ठिर महतो, पिता स्व० मोचीराम महतो, ग्राम–सोहनडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पुत्री की विवाह हेतु क्रेता अर्जुन महतो, पिता स्व० काली महतो, ग्राम–कृष्णापुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
सोहनडीह	172	33	56/A	0.05ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता मोचीराम महतो के नाम से पंजी–II में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में 6.16½ एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.05 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 6.11½ एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.05 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।